न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 22/2017

GCMS No. : 2017/00153

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
श्री दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. दौलाराम पुत्र श्री पाबुराम जाति पटेल राजेश्वर घीरत भण्डार 71 धानमण्डी पाली 2. मैसर्स रामकिशोर एण्ड कम्पनी, गुड खाड कटला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंवार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 18.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई, वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित थे। प्रार्थी दिनांक 15.03.2014 को दौराने गश्त अप्रार्थी श्री दौलाराम पुत्र पाबुराम मैसर्स राजेश्वर घीरत भण्डार धानमण्डी पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका नाम पुछने पर अपना नाम दौलाराम बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां तीन पैक टिन घी ब्राण्ड मोहक के रखे हुए थे जिसे अप्रार्थी आमजन को बिक्री कर रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया की घी ब्राण्ड मोहक का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 800 ग्राम घी ब्राण्ड मोहक वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 245/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी ब्राण्ड मोहक को चार बराबर भागो में बांटकर चार साफ सुखी कांच की बोतलों में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–289 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं घी ब्राण्ड मोहक के खरीदी का बिल पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थी ने उक्त घी मैसर्स रामकिशोर एण्ड कम्पनी गुड खांड कटला पाली से खरीद किया था। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर–289 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/137/एक्ट/2014/155 दिनांक 10.04.2014 के अनुसार Sub-Standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards घी ब्राण्ड मोहक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब में निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 23.04.2014 को उक्त नमुना की जाचं रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी लेकिन न्यायालय में दिंनाक 22.03.2017 को प्रकरण पेश किया जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है जिसके अनुसार एक वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया जिसका कोई ठोस कारण अंकित नही किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समय सीमा से भी तीन गुणा ज्यादा समय हो गया है। जिसके आधार पर प्रकरण खारिज योग्य है एवं उक्त घी का नमुना लेते समय 15 लीटर टीन को पैक अवस्था में बिना खोले ही हिला कर टीन के पर छेद कर नमुना लिया गया था जिससे सम्पुर्ण घी एकसमान नही हो पाया एवं मौका फर्द एक टाईपशुदा प्रपत्र में है जिसमें निर्धारित शब्द भर कर मौका रिपोर्ट की खाना पुर्ति की गई है। अप्रार्थी को मौका फर्द पढकर नही सुनाई गयी एवं हस्ताक्षर करवा लिये। अप्रार्थी थोक विक्रेता से पैक अवस्था में घी खरीद करता है और उसी अवस्था में आमजन को विक्रय करता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नही करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से घी ब्राण्ड मोहक का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की पालना किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से नमुना लिया गया है एवं न ही अप्रार्थी को नमुने की द्वितीय सेम्पल के लिए अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 2 से पैक अवस्था में माल खरीद किया उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमुना घी की पैंकिग या मैन्युफैक्यरीग नही की जाती है अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समयावधि बाद प्रस्तुत करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो की पालना नही किये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2014 को अप्रार्थी की दुकान से घी ब्राण्ड मोहक को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–289 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये घी ब्राण्ड मोहक नमुना कोड संख्या आर–289 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी ब्राण्ड मोहक का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से घी का नमुना वर्ष 2014 में लिया गया था लेकिन उक्त प्रकरण से संबधित पत्रावली जैर अनुसंधान थी जिसके एक वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के कारण जनहित में समय सीमा विस्तार की अनुमति ली जाने के उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी ब्राण्ड मोहक का नमुना खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के अधीन नियमों एवं प्रक्रियो को अपनाते हुए किया गया है जो पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है। नमुना कोड संख्या आर 289 की खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर से अवमानक (Sub-standards) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से एक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रति प्रेषित कर अवगत कराया कि वह चाहे जो उक्त घी ब्राण्ड मोहक की पुनः जांच करवा सकता है जिसके लिए 1 माह का अवसर दिया गया था। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमानुसार की है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-standards) घी ब्राण्ड मोहक का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये एंव अप्रार्थी संख्या 02 पर 40,000/– चालीस हजार रूपये कुल 50,000/– पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 18/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली